न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 114/2024

UPRN180015452024

नोखेलाल बनाम दिलीप

दिनांक –16/04/2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र 30 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151सी०पी०सी०

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 30 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी वादी की क्रयशुदा भूमि पर पहले से बनी हुई बाउन्ड्री को दौरान मुकदमा गिरा दिया है और वादी की क्रयशुदा भूमि पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वादग्रस्त स्थल की स्पष्ट आख्या आ जाने से पूरी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी तथा वाद के निस्तारण में सुविधा होगी। वादी द्वारा अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर वादग्रस्त स्थल की स्पष्ट आख्या मंगाये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण तर्फ अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें कमीशन से कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30ग2 पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र 30 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। तथा लिस्ट के अनुसार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उनको आदेशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को मौके पर अपनी उपस्थिति की सूचना देने के पश्चात प्रश्नगत विवादित जगह के संबंध में अपनी आख्या इस न्यायालय के समक्ष नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी उक्त के संबंध में पैरवी करे। पत्रावली वास्ते अधिवक्ता आयुक्त आख्या दिनांक 20/05/2025 को पेश हो। लिस्ट के अनुसार अधिवक्ता आयुक्त को परवाना जारी हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.04.16 16:24:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court